राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2016/02 दिनांक : 04-01-17

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर के संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में राज्य स्तर के संविदा सलाहकार–अरबन आरसीएच पद, संविदा स्टेट कार्डिनेटर (क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट) एवं संविदा प्रोग्राम ऑसिफर के पदों की प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर एनएचएम मुख्यालय, जयपुर पर नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	संविदा पदनाम	मासिक मानदेय
1	डॉ. हेमन्त व्यास	श्री चन्द्र प्रकाश व्यास	सलाहकार–अरबन आरसीएच	रू 43000/–
2	श्री युवराज प्रताप सिंह	श्री वेदवीर सिंह	स्टेट कार्डिनेटर (क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट)	रू 43000/–
3	श्रीमती नेहा शर्मा	श्री कमलेश शर्मा	प्रोग्राम ऑफिसर	रू 25000/–

उक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वें आदेश जारी दिनांक से दिनांक 10.01.2017 तक आवश्यक रूप से परियोजना निदेशक, एनएचएम के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के लिये अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक के लिये होगी जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बढाई जा सकेगी। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नही होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में अनुभाग अधिकारी (एचआर), एनएचएम को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको के मूल दस्तावेजों की जॉच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VI) एनआरएचएम / एचआरडी / 2016 /   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. निदेशक– (जनस्वास्थ्य / आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक – प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
10. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, एमएच / सीएच / इम्यूनाईजेशन / एफडब्ल्यू / आरबीएसके, एनएचएम।
13. सहायक निदेशक (आयुष), एनएचएम, जयपुर।
14. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
15. समस्त नोडल अधिकारी / समस्त सलाहकार, एनएचएम, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
18. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, समस्त जिले।
19. वर्णित समस्त संविदा कार्मिको को पालनार्थ।
20. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेल करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम